न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/118 **दायरा दिनांक : 16.07.2024**

उनवान

नन्दलाल आत्मज गोपाल, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1. विनोद कुमार आत्मज श्री माणक चन्द, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी तहसील अकलेरा हाल मुकाम बकानी, तहसील बकानी, जिला झालावाड
2. रामनारायण पुत्र भंवरलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, हाल मुकाम रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 बसन्ती पुत्री रामनारायण
   2/2 गोपाल सैन पुत्र रामनारायण
   2/3. भैरूलाल पुत्र रामनारायण
   2/4. संतोष पुत्री रामनारायण
   2/5. मंजू बाई पुत्री रामनारायण मृतक जर्ये कायम मुकामान –
   2/5/1 अनीता कुमार पुत्री स्वर्गीय मंजू बाई पत्नी नीरज उर्फ नीरू जाति नाई निवासी ग्राम भालता तहसील अकलेरा जिला झालावाड
3. भूली बाई पुत्री हीरालाल, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4. सम्पत बाई पुत्री हीरालाल, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. अनिल कुमार पुत्र माणक चंद, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड हाल मुकाम रेपला की आंगनबाडी के पास, बकानी, तहसील बकानी, जिला झालावाड
6. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र, जाति नाई, निवासी, ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड हाल मुकाम रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड
7. फूलचन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड हाल मुकाम रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड
8. गुलाब चन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड हाल मुकाम रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड
9. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति नाई, निवासी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड हाल मुकाम रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 5 व 8 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 51/दावा/2020 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुलखेडी, पटवार हल्का गुलखेडी भू0अभि0नि0 घाटोली, तहतील अकलेरा, जिला झालावाड राज0 के माल में खाता संख्या नया 100 पुराना 89 की खसरा संख्या 255 की 17 बिस्वा, खसरा संख्या 461 की 1 बीघा 19 बिस्वा कुल 2 किता की 2 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है इसमें नामान्तकरण संख्या 520 निर्णय दिनांक 08.02.2016 भूमि अवाप्ति से खसरा संख्या 461 की 0.0400 हेक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के नाम दर्ज है। अब कुल शेष आराजी 2 किता की 2 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के शामलाती खाते की स्थित है जिसमे वादी का 11/40 भाग है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विधिक अधिकारों से परे जाकर अकारण ही अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। ग्राम गुलखेडी, तहतील अकलेरा, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 100 पुराना 89 की खसरा संख्या 255 की 17 बिस्वा, खसरा संख्या 461 की 1 बीघा 19 बिस्वा कुल 2 किता की 2 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है इसमें नामान्तकरण संख्या 520 निर्णय दिनांक 08.02.2016 भूमि अवाप्ति से खसरा संख्या 461 की 0.0400 हेक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में चली गयी है अब कुल शेष 2 किता की 2 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 तक अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यह कि सी.पी.सी. में पक्षकार पर इत्तला करवाने का कानूनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यह कि सी.पी.सी. में पक्षकार पर इत्तला करवाने का कानूनी प्रावधान दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को जिस पर सम्मन की तामील करवायी गई है उसे वह पहचानता था, जो सम्मन के परिदान/तामीलदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम उसके पिताजी का नाम जाति एवं सम्पूर्ण पता कथित करने वाली विवरणी मूल स्थान पर पृष्ठांकित करेगा या करवायेगा और तामील सम्मन पर अंकित करेगा, परन्तु उक्त प्रकरण में इस तरह की विधिवत कार्यवाही प्रोसेस सर्वर के द्वारा कानूनन नहीं करवायी गयी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय हर तरह से निरस्तनीय है। सम्मन अपीलान्ट दिनांक 20.11.2020 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, जिस पर कांटा छाटी हो रही है और अपीलान्ट की जगह उसकी बहिन पूरीबाई के सम्मन की व पुष्ट पर अंगूठा लगा हुआ है, जबकि पूरी बाई हस्ताक्षर करती है ऐसी स्थिति में उक्त सम्मन की इत्तला पूर्णतया सन्देहास्पद है, ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रेषित किये गये किसी भी सम्मन की अपीलान्ट पर विधिवत इत्तला करवाये बिना ही दिनांक 23.02.21 को अवैधानिक तौर पर अपीलान्ट पर गलत तौर पर अपने अधिकारों से परे जाकर इत्तला मानकर एक तरफा कार्यवाही की गयी है उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी के शपथ पत्र को आधार मानकर दिनांक 03.06.24 को एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय को न्यायहित में निरस्त फरमायी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें सम्मन की तामील नहीं हुई है। पूरीबाई का अंगूठा दर्ज है जबकि पूरीबाई हस्ताक्षर करती है। सम्मन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है । रामनारायण की दिनांक 06.06.2023 को मृत्यु हुई है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2024 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। चंदाबाई की मृत्यु दिनांक 21.10.2023 को हुई है और अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के खिलाफ डिक्री पारित की है। अतः अपील रिमाण्ड की जाये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डब्ल्यू. 1976 पेज 1, आर.आर.डी. 2010 पेज 647, आर.आर.डी. 2018 पेज 28, आर.बी. जे. 2025 जनवरी पेज 35 की नजीरे उद्धरत की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रामनारायण की मृत्यु व उसके कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसी बिन्दु पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय रिमाण्ड किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2024 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की तामील विधिवत रूप से नहीं करवायी गयी तथा अपीलांट पर तामील मानते हुए अवैधानिक तौर पर एक तरफा कार्यवाही की गयी है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट नन्दलाल के सम्मन की तामील पूरीबाई (बहन) पर करवायी गयी है। तामील रिपोर्ट पर पूरीबाई की अंगूठा निशानी दर्ज है, साथ ही दो गवाहों के नाम व पता एंवं अपीलांट पर व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील नहीं होने के कारण भी तामील रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, जो सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के अनुरूप है। अतः अपीलांट का यह कथन कि सम्मन की तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से नहीं करवायी गई स्वीकार योग्य नहीं है। दौराने बहस अपीलांद ने यह अवगत कराया है कि प्रतिवादीगण रामनारायण की दिनांक 06.06.2023 एवं चन्दाबाई की दिनांक 21.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्तियों के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही मृतक व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। अतः प्रकरण को इस आधार पर रिमाण्ड किया जाये। अपीलांट द्वारा मृतक रामनारायण व चन्दाबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 1 व 10 की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही हो चुकी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट कि रामनारायण व चन्दाबाई पर सम्मन की तामील विधिवत रूप से नहीं करवायी गयी है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा भी उक्त आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड करनें में दौराने बहस कोई आपत्ति नहीं की है। अतः अपील के इस स्तर पर हम उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री को खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलेंट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2024 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिवत तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/05/2025

(दीप्ति ~~मनचन्द्र~~ मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा